रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2012/चैत्र 8, 1934

No. 141] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2012/CHAITRA 8, 1934

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2012

सा.का.नि. 257(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम "भारत सरकार टकसाल, कोलकाता के 60 वर्ष" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए साठ रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मानक वजन तथा अनुज्ञात उपचार :— सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन "भारत सरकार टकसाल, कोलकाता के 60 वर्ष" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए अंकित मूल्य के कतिपय सिक्कों का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा, अर्थात् :—

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
साठ रुपए	22.5 ग्राम	चांदी मे 1/500 तक कम या ज्यादा अर्थात् चांदी म प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हा सकेगा ।	1/40 तक कम या ज्यादा अर्थात् वजन में 21.9375 ग्राम से 23.0625 ग्राम तक अंतर हो सकता है ।
पांच रुपये	6 ग्राम	तांबा और जस्ता के लिए 1/100 तक कम या ज्यादा अर्थात तांबा मे 74% से 76% तक और	1/40 तक कम या ज्यादा अर्थात् वजन से

जस्ता में 19% से 21% तक का अंतर हो सकेगा और निकल में 1/200 तक कम या ज्यादा अर्थात् 4.5% से 5.5% तक के बीच का अतर हो सकेगा ।

5.85 ग्राम से 6.15 ग्राम तक का अंतर हो सकता है ।

[फा. सं. 2/3/2012-सिक्का]

अरूण सोबती, अवर सचिव (सी और सी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2012

G.S.R. 257(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 read with section 5 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Coinage of the Sixty Rupees and Five Rupees coined to commemorate the occasion of **"60th year of India Government Mint, Kolkata"** Rule, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Standard weight and remedy allowed - Standard weight and remedy allowed on coins of certain denominations, coined to commemorate the occasion of **"60th year of India Goverment Mint, Kolkata"**, under the provisions of section 4 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011) and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table given below: -

TABLE

Denomination	Standard Weight	Remedy Allowed	
		In Composition	In Standard Weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Sixty Rupees	22.5 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 could per 1000.	1/40th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 21.9375 grams to 23.0625 grams.
Five Rupees	6 Grams	1/100th plus or minus for Copper and Zinc, that is to say, Copper could vary from 74% to 76% and Zinc from 19% to 21% and 1/200th plus or minus for nickel that is to say nickel could vary from 4.5% to 5.5%.	1/40th plus or minus that is to say, the weight could vary from 5.85 grams to 6.15 grams.

[F. No. 2/3/2012-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (C and C)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.